



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 आषाढ़ 1937 (श०)

(सं० पटना 836) पटना, मंगलवार, 21 जुलाई 2015

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

21 जुलाई 2015

एस०ओ० 167, दिनांक 21 जुलाई 2015—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं० 27/2005) की धारा-14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा उक्त अधिनियम, 2005 की अनुसूची-III के भाग—I के क्रमांक 150 के बाद निम्नलिखित एक नया क्रमांक 151 एवं उनकी अनुसारी प्रविष्टियाँ तुरत के प्रभाव से जोड़ते हैं :—

“151. पी०एस०सी०/पी०सी०सी० पोल”

[(सं० बिक्री-कर/संशोधन-13/2013-3905)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

21 जुलाई 2015

एस०ओ० 168, एस०ओ० 167, दिनांक 21 जुलाई 2015 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं० बिक्री-कर/संशोधन-13/2013-3906)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 21st July 2015

S.O. 167, dated the 21st July 2015—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section-14 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005) the Governor of Bihar is pleased to add the following Serial No. 151 and their corresponding entries after Serial No. 150 of part-I of schedule-III of the said Act, 2005 with immediate effect :-

“151. PSC/PCC Pole”

[(F.No. Bikri kar/Sansodhan-13/2013-3905)]

By order of the Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-Principal Secretary,

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 836-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>